भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 761
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह

761. श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कामकाजी माताओं के लिए शिशु देखभाल सेवाओं में वृद्धि करने हेतु पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (एडब्ल्यूसीसी) पहल को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) किस प्रकार एडब्ल्यूसीसी सुविधाएं महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी का समर्थन करने तथा कार्य और बाल देखभाल जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में माताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करती हैं;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि सभी माताओं को उनके रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना शिशुगृह सेवाएं सुलभ हों;
(घ) सरकार 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सहायता प्रदान करने में एडब्ल्यूसीसी की प्रभावकारिता की किस प्रकार निगरानी और मूल्यांकन करने की योजना बना रही है; और
(ड.) देश के विभिन्न क्षेत्रों में इन एडब्ल्यूसीसी की स्थापना और उन्हें प्रचालित करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.) : महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार पर सरकार की निरंतर पहल के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, और अधिक से अधिक महिलाएं अब अपने घरों के भीतर या बाहर काम करके लाभकारी रोजगार पा रही हैं। बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण शहरों की ओर पलायन भी बढ़ा है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चों को, जिन्हें पहले काम के दौरान संयुक्त परिवारों से सहायता मिलती थी, अब डे केयर सेवाओं की आवश्यकता है, जो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सुरक्षा प्रदान करें। उचित डे-केयर सेवाओं की कमी अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकती है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/क्रेच की बेहतर गुणवत्ता और पहुंच की तत्काल आवश्यकता है।

कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, पालना योजना के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्रेच सेवाएं बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देती हैं, जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था। देखभाल कार्य को औपचारिक रूप देने से सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" को समर्थन मिलता है। इससे अधिक माताएँ भी सक्षम होंगी, जो अवैतनिक बाल-देखभाल की ज़िम्मेदारियों से मुक्त होंगी और लाभकारी रोज़गार अपना सकेंगी।

आंगनवाड़ी केन्द्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं तथा अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। अपनी तरह के पहले प्रयास में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। इससे पूरे दिन बच्चों की देखभाल सुनिश्चित होगी तथा सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित होगी। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल भागीदारी' को बढ़ाना है। पालना योजना का उद्देश्य बच्चों (आयु 6 माह से 6 वर्ष तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और

संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी और टीकाकरण प्रदान करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

पालना केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करती है ताकि दिन-प्रतिदिन बेहतर निगरानी और योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और इसे केंद्र और राज्य सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के बीच 60:40 के वित्त पोषण अनुपात के साथ लागू किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के जहां अनुपात 90:10 है। विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

एडब्ल्यूसीसी की स्थापना और संचालन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं। आज तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 11,395 एडब्ल्यूसीसी को मंजूरी दी गई है।

******